न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 18.07.2018

प्रकरण संख्या/69/2018 वाद

उनवान

1. पृथ्वीराज पिता महादेव जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. बालुराम पिता महादेव जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भगवानी बेवा महादेव जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. शंकर पिता चम्पा जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 हिरा बेवा चम्पा जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामेश्वर पिता चुना जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मदन पिता चुना जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. लेहरू पिता जमना लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. कमलाबाई पिता जमनालाल पति भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा हाल मुकाम हिराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. सोहनी बाई बेवा जमना लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ (राज0)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना —वादी

एकतरफा —प्रतिवादी सं0 1 से 7

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः **18.12.2024**

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा शम्भुपुरा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी सं0 75 रकबा 0.23 है0, स्थित है जो वादी व प्रतिवादी के खाते में संयुक्त दर्ज है। आराजी संख्या 75 में हमारा आधा हिस्सा है और आधे हिस्से में चम्पा का 1/4 व जमनालाल का 1/4 हिस्सा है।

यह कि खाते में संयुक्त दर्ज होने से सीमा सम्बन्धी विवाद करते है। और दिनांक 20.05.2018 को विभाजन के लिए कहा तो इन्कार हो गये जिससे यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः निवेदन है कि मौजा शम्भुपुरा पटवार हल्का रूपाखेडी की आराजी नम्बर 75 का मिट्स एण्ड बॉण्डस में कब्जे अनुसार तथा हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जावें जिसमें 1/2

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़

हिस्सा वादीगण का, चम्पा व जमनालाल के वारिसान का 1/4 , 1/4 हिस्सा है। हर्जा खर्चा वकील मेहन्ताना दिलाया जावें। अन्य दाद गुफिद वादीगण हो दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 27.11.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 03.12.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 27.08.2024 से शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 18.12.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा शम्भुपुरा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी सं0 75 रकबा 0.23 है0, स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. पृथ्वीराज पिता महादेव जाति जाट हिस्सा 1/3, बालुराम पिता महादेव जाति जाट हिस्सा 1/3, भगवानी पत्नी महादेव जाति जाट हिस्सा 1/3 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	75/1	0.0575
योग	कुल किता–01	0.0575

2. शंकर पिता चम्पा जाति जाट, लेहरू पिता जमनालाल जाति जाट, सोहनीबाई पत्नी जमनालाल जाति जाट, हीरी पत्नी चम्पा जाति जाट, कमलाबाई पुत्री जमनालाल जाति जाट, चुन्ना पिता देवजी जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	75/2	0.1725
योग	कुल किता–01	0.1725

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़

(राजेश सोलंकी)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन